पत्रांक : 11/वि1–50/2013.........817
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक :

राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन',
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)

पटना, दिनांक : 20.03.2017

विषय : **माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 2064 दिनांक 23.12.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा शिक्षक नियोजन का कार्यक्रम प्रकाशित किया गया था। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय नियोजन इकाईयों द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम के आलोक में नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया गया है। विभागीय पत्रांक 376 दिनांक 25.02.17 द्वारा नियोजन कार्यक्रम संपन्न नहीं करने के संबंध मे दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिह्नित कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया था। संबंधित जिले से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए है, जो खेद का विषय है।

निदेशानुसार पंचम चरण के नियोजन की प्रक्रिया निम्नांकित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही जिला पदाधिकारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित जिले में नियोजन की प्रक्रिया संपन्न करने के साथ ही अनुश्रवण के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे।

(क) वैसे जिले/नियोजन इकाई जो पूर्व निर्धारित नियोजन कार्यक्रम के आलोक में मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्र के मिलान एवं जॉच/मेधा सूची का सार्वजनीकरण का कार्य संपन्न कर लिया गया है या नहीं किया गया है, ये जिले/नियोजन इकाई निम्न कार्यक्रम के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत करेंगे।

जिला परिषद एवं शहरी निकाय द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन/सार्वजनीकरण					**23.03.2017**
2.	**जिला स्तर पर सभी नियोजन इकाई द्वारा कॉउन्सिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करने का कार्यक्रम**				
क्र०	**प्रमंडल का नाम**	**उच्च माध्यमिक**		**माध्यमिक**	
		नगर निकाय	**जिला परिषद**	**नगर निकाय**	**जिला परिषद**
		उच्च माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	माध्यमिक
1	कोशी	25.03.2017	25.03.2017	25.03.2017	25.03.2017
2	तिरहुत	27.03.2017	27.03.2017	27.03.2017	27.03.2017
3	दरभंगा	28.03.2017	28.03.2017	28.03.2017	28.03.2017
4	पूर्णिया	29.03.2017	29.03.2017	29.03.2017	29.03.2017
5	सारण	30.03.2017	30.03.2017	30.03.2017	30.03.2017
6	मगध	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017

Desktop/Ltr.07.09.16

7	मुंगेर	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017
8	भागलपुर	03.04.2017	03.04.2017	03.04.2017	03.04.2017
9	पटना	06.04.2017	06.04.2017	06.04.2017	06.04.2017

(ख) वैसे जिले/नियोजन इकाई जो मेधा सूची पर आपत्तियों का निराकरण, प्रकाशन एवं मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की जॉच एवं मिलान का कार्य नहीं किया गया।

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	मेधा सूची पर आपत्तियों का निराकरण/प्रकाशन	23.03.2017
2	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान/जाँच	25.03.2017
3	जिला परिषद एवं शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	27.03.2017
4	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	28.03.2017
5	जिला स्तर पर सभी नियोजन इकाई द्वारा कॉउन्सिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करने का कार्यक्रम	प्रमंडलवार निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार

क्र०	प्रमंडल का नाम	उच्च माध्यमिक		माध्यमिक	
		नगर निकाय	जिला परिषद	नगर निकाय	जिला परिषद
		उच्च माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	माध्यमिक
01	भागलपुर	30.03.2017	30.03.2017	30.03.2017	30.03.2017
02	मुंगेर	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017
03	मगध	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017
04	पटना	03.04.2017	03.04.2017	03.04.2017	03.04.2017

(ग) सुपौल जिलान्तर्गत संशोधित कार्यक्रम निम्नवत् है :-

क्र०	गतिविधि	निर्धारित तिथि
(i)	(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20.01.16, पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 एवं पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 में प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि के महिलाओं एवं राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि (ख) वैसे नियोजन इकाई जहाँ पंचम चरण अन्तर्गत नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है, मात्र वैसे नियोजन इकाई उपरोक्त कोटि के अतिरिक्त अन्य कोटि के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति	23.03.17 से 22.04.17
(ii)	क्रमांक 2 में आवेदित अभ्यर्थियों एवं पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों की की समेकित मेधा सूची की तैयारी	24.04.17 से 27.04.17
(iii)	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	02.05.17
(iv)	मेधा सूची का प्रकाशन	03.05.17
(v)	मेधा सूची पर आपत्ति	04.05.17 से 18.05.17
(vi)	आपत्तियों का निराकरण	23.05.17
(vii)	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	29.05.17
(viii)	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान/जाँच	01.06.17
(ix)	जिला परिषद् एवं शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	03.06.17
(x)	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण –	05.06.17

(xi)	जिलास्तर पर सभी नियोजन इकाई द्वारा काउसिंलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना –	
	नगर निगम	07.06.17
	नगर परिषद्	07.06.17
	नगर पंचायत	07.06.17
	जिला परिषद्	08.06.17

(घ) भोजपुर, रोहतास एवं पूर्वी चम्परण जिलान्तर्गत संशोधित कार्यक्रम निम्नवत् है:–

क्रं०	गतिविधि	निर्धारित तिथि
(i)	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	24.03.17
(ii)	मेधा सूची का प्रकाशन	25.03.17
(iii)	मेधा सूची पर आपत्ति	27.03.17 से 12.04.17
(iv)	आपत्तियों का निराकरण	19.04.17
(v)	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	24.04.17
(vi)	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान/जाँच	26.04.17 से 29.04.17
(vii)	जिला परिषद् एवं शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	03.05.17
(viii)	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण –	05.05.17
(ix)	जिलास्तर पर सभी नियोजन इकाई द्वारा काउसिंलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना –	
	नगर निगम	06.05.17
	नगर परिषद्	06.05.17
	नगर पंचायत	06.05.17
	जिला परिषद्	08.05.17

उपर्युक्त नियोजन कार्यक्रम अंतर्गत निम्न प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत एवं जिला परिषद् में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तर पर आहूत होने वाले बैठक में सम्मिलित होने हेतु संबंधित नियोजन इकाई को सदस्य सचिव द्वारा आवश्यक निदेश दिया जायेगा। निर्धारित तिथि में जिला परिषद् नगर निकाय के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें। औपचारिक रूप से सूचित करने के बावजूद यदि निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें Deemed रूप से उपस्थित मानते हुए नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जायेगी। यदि सदस्य सचिव निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होंगे तो अधिसूचित नियुक्ति नियमावली, 2006 के नियम 14 के उप नियम (ग) के प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध संगत अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

2. उपर्युक्त कार्यक्रम के आलोक में नियुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में निम्न प्रपत्र में सूचना कॉउन्सिलिंग के दिन ही संबंधित नियोजन इकाई/जिलों द्वारा उनके NIC के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

<u>प्रपत्र</u>

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विषय का नाम	मेधा सूची का क्रमांक/मेधा अंक	पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र का क्रमांक

3. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा के मूल निर्गत सी0डी से मिलान के उपरांत ही नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा।

Desktop/Ltr.07.09.16

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार विभागीय पत्रांक 1258 दिनांक 18.03.16, 1947 दिनांक 09.12.16 एवं 2064 दिनांक 23.12.16द्वारा प्रतिपादित शेष निदेश के अक्षरशः अनुपालन के साथ नियोजन की कार्रवाई समपन्न की जाय।

विश्वासभाजन,

20/3/2017

(राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन')
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक– 11/वि1–50/2013 ...817 पटना, दिनांक...20.03. 2017

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/2017

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक– 11/वि1–50/2013 ...817 पटना, दिनांक...20.03.2017

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इसे आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

20/3/2017

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)